... आवश्यक कार्यवाही हेतु ... में दिनांक........
को पेश हो।

एल डी ओ/ रीडर

5/6/18 वसूलयाब राशि 3540/ वसूल करा कर डिक्री किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार हो। निर्णय पुस्तक में दर्ज किया जावे आवश्यक पत्रावली किया जावे। नत्थी से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 292/16
दायर दिनांक 04.10.2016

निर्णय दिनांक
05/06/2018

उनवान

1. आशीष
2. आदित्य
3. बादशाह पुत्रांन अमरजीत
4. भूमिका पुत्री अमरजीत नाबालिग जाति जाटान निवासीयान ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर जरिये सरपरस्त माता श्रीमति पूनम पत्नि अमरजीत जाति जाट निवासी कोटकासिम जिला–अलवर (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

1. कर्णसिंह पुत्र सुरता जाति जाट निवासी कोटकासिम (अलवर)
2. गजे सिंह
3. अमरजीत पुत्रांन कर्णसिंह जाति जाट निवासी कोटकासिम
4. मुथरी देवी पत्नि जगराम जाति जाट निवासी कोटकासिम
5. श्रीमान उप पंजियक महोदय, कोटकासिम जिला–अलवर
6. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बमय हुक्मईम्तनाईदवामी

धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भगवान यादव अभिभाषक वादीगण
2. श्री भगत सिंह चौधरी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1

वादी ने एक वाद न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी हाल ख0न0 1946/0–6, 2037/1, 3–05, 2202/1–02 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम कोटकासिम स्थित है। विवादित आराजीयात मिन वादीगण की हिन्दु मुश्तरका खानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन वादीगणों के हक हकूक बाई कर्थ निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 मिन वादीगणों के सगे दादाजी है व प्रतिवादी संख्या 3 मिन वादीगणों का सगा पिताजी है। प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित आराजीयात अपने पिता सुरता की विरासत से प्राप्त हुई है। परिवार का कर्ता धर्ता

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

व मुखिया होने के कारण विवादित आराजीयात प्रति0 सं0 1 के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है। प्रतिवादी सं0 1 अपना व अपने परिवार वालों का भला बुरा सोचने समझने की शक्ति खो चुका है। अपनी गलत आदतो से ग्रहस्त है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 के बहकावे में आया हुआ है। जिस कारण प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजी ख0न0 2292/1/1–02 बीघा प्रतिवादिया सं0 4 को खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 3771 प्रतिवादिया सं0 4 के नाम दर्ज व मंजूर होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल आ रहा है। जो बयनामा व नामान्तकरण सं0 3771 मिन वादीगण के हक व हिस्से तक बातिक व बेअसर नल एण्ड वाईड शून्य है। अब प्रतिवादी सं0 1 ख0न0 1946, 2037 को भी दीगर लोगो को बेचान कर मिन वादीगणों को उनकी दादालाइ आराजीयात के उपयोग–उपभोग से वंचित करना चाहता है। जबकि विवादित आराजीयात वादीगणों की दादालाई आराजीयाता है। पारिवारिक सजरा निम्न पेश है–

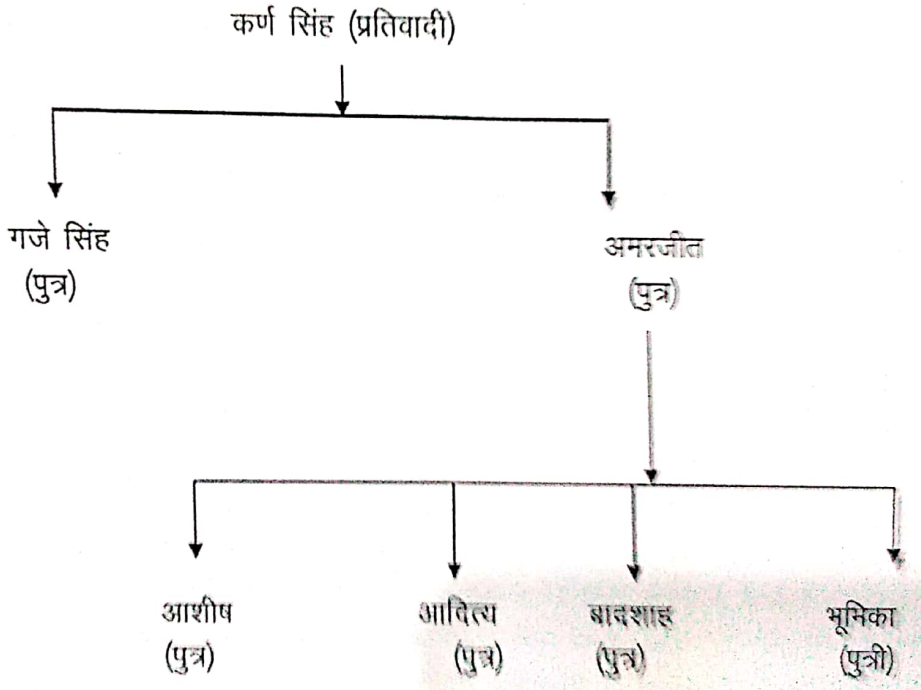

विवादित आराजीयात में प्रतिवादीगण सं0 1 के हिस्से में से प्रतिवादी सं0 3 का 1/3 भाग है। विवादित आराजीयात में प्रतिवादी सं0 3 के 1/3 हिस्से में से मिन वादीगण अपने 4/5 भाग पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर मिन वादीगणों का वास्तविक कब्जा है। इसलिए मिन वादीगण विवादित आराजीयात ख0न0 2292 में अपने हक हिस्से तक बैयनामा के आधार पर प्रतिवादिया सं0 4 के नाम नामान्तकरण सं0 3771 दर्ज व स्वीकार हुआ है उन्हे नल एण्ड वाईड बातिल व बेअसर शून्य करार दिलाने के व प्रतिवादिया सं0 का नाम मिन वादीगण अपने हिस्से तक कलमजन कराने के व विवादित आराजीयात में प्रतिवादी सं0 3 के हक हिस्से में से मिन वादीगण अपने आपको 4/5 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के व राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का अमल कराने के अधिकारी है।

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाल जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित किया कि विवादित आराजीयात वादीगण की हिन्दु मुश्तर्का खानदान की दादालाई आराजीयात है जिसमे वादीगण के हक हकूक बाई कर्थ निहित है। मिन प्रतिवादी सं0 1 वादीगणों का सगा दादाजी है। विवादित आराजीयात मिन प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिताजी श्री सुरता से विरासत में प्राप्त हुई है और राजस्व रिकॉर्डस में मेरे नाम ही अमल हो रहा है। राजस्व सही है, स्वीकार है। विवादित आराजीयात में मिन प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से मे से प्रतिवादी सं0 3 जो कि वादीगणों का सगा पिताजी है का 1/3 भाग है, प्रतिवादी संख्या 3 के 1/3 भाग मे से वादीगणों का 4/5 भाग है। जिस पर वादीगण मौके पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगणों को उनके हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर इनके नाम का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्डस में किया जाता है तो मिन प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। सहमत हूं। मिन प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजी में अपने हक हिस्से में से 10 बिस्वा भूमि का इकरारनाम श्री फिरोज खांन पुत्र श्री नसीम अहमद खां जाति खांनजादा निवासी ग्राम व तहसील कोटकासिम को दिनांक 28.01.2017 को किया हुआ है। विवादित आराजीयात में मिन प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादीगणों का सगा पिताजी है का 1/3 भाग है, प्रतिवादी संख्या 3 के 1/3 भाग में से वादीगणों का 4/5 भाग है । जिस पर वादीगण मौके पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है।

बहस विद्वांन अभिभाषक वादीगण सुनी गई। विद्वांन अभिभाषक वादीगण ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ओर कहा कि विवादित आराजी हाल ख0न0 1946/0–6, 2037/1, 3–05, 2292/1–02 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम कोटकासिम स्थित है। विवादित आराजीयात मिन वादीगण की हिन्दु मुश्तफा खानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन वादीगणों के हक हकूक बाई कर्थ निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 मिन वादीगणों के सगे दादाजी है व प्रतिवादी संख्या 3 मिन वादीगणों का सगा पिताजी है। प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित आराजीयात अपने पिता सुरता की विरासत से प्राप्त हुई है। परिवार का कर्ता धर्ता व मुखिया होने के कारण विवादित आराजीयात प्रति0 सं0 1 के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है। प्रतिवादी सं0 1 अपना व अपने परिवार वालों का भला बुरा सोचने समझने की शक्ति खो चुका है। अपनी गलत आदतो से ग्रहस्त है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 के बहकावे में आया हुआ है। जिस कारण प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजी ख0न0 2292/1/1–02 बीघा प्रतिवादितया सं0 4 को खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 3771 प्रतिवादिया सं0 4 के नाम दर्ज व मंजूर होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल आ रहा है। जो बयनामा व नामान्तकरण सं0 3771 मिन वादीगण के हक व हिस्से तक वातिक व बेअसर नल एण्ड वाईड शून्य है। अब प्रतिवादी सं0 1 ख0न0 1946, 2037 को भी दीगर लोगो को बेचान कर मिन वादीगणों को उनकी दादालाइ आराजीयात के उपयोग–उपभोग से वंचित करना चाहता है। जबकि विवादित आराजीयात वादीगणों की दादालाई आराजीयाता है। विवादित आराजीयात में प्रतिवादीगण सं0 1 के हिस्से में से प्रतिवादी सं0 3 का 1/3 भाग है। विवादित आराजीयात में प्रतिवादी सं0 3 के 1/3 हिस्से में से मिन वादीगण अपने 4/5 भाग पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर मिन वादीगणों का वास्तविक कब्जा है। इसलिए मिन वादीगण विवादित आराजीयात ख0न0 2292 में अपने हक हिस्से तक बैयनामा के आधार पर प्रतिवादिया सं0 4 के नाम नामान्तकरण सं0 3771 दर्ज व स्वीकार हुआ है उन्हे नल एण्ड वाईड वातिल व बेअसर शून्य करार दिलाने के व प्रतिवादिया सं0 का नाम मिन वादीगण अपने हिस्से तक कलमजन कराने के व विवादित आराजीयात में प्रतिवादी सं0 3 के हक हिस्से में से मिन वादीगण अपने आपको 4/5 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के व राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का अमल कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद डिक्री दिया जावे। विद्वांन अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 की बहस सुनी । विद्वांन अधिवक्ता ने

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजीयात वादीगण की हिन्दु मुश्तर्का खानदान की दादालाई आराजीयात है जसमे वादीगण के हक हकूक बाई बर्थ निहित है। मिन प्रतिवादी सं0 1 वादीगणों का सगा दादाजी है। विवादित आराजीयात मिन प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिताजी श्री सूरता से विरासत में प्राप्त हुई है और राजस्व रिकॉर्डस में मेरे नाम ही अमल हो रहा है। सजरा सही है, स्वीकार है। विवादित आराजीयात में मिन प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से मे से प्रतिवादी सं0 3 जो कि वादीगणों का सगा पिताजी है का 1/3 भाग है, प्रतिवादी संख्या 3 के 1/3 भाग में से वादीगणों का 4/5 भाग है। जिस पर वादीगण मौके पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगणों को उनके हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर इनके नाम का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्डस में किया जाता है तो मिन प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। सहमत हूं। मिन प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजी में अपने हक हिस्से में से 10 बिस्वा भूमि का इकरारनाम श्री फिरोज खांन पुत्र श्री नसीम अहमद खां जाति खांनजादा निवासी ग्राम व तहसील कोटकासिम को दिनांक 28.01.2017 को किया हुआ है। विवादित आराजीयात में मिन प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादीगणों का सगा पिताजी है का 1/3 भाग है, प्रतिवादी संख्या 3 के 1/3 भाग में से वादीगणो का 4/5 भाग है । जिस पर वादीगण मौके पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। अगर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 3 को कोई आपत्ति नही है।

विद्वांन अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया वादीगण अधिवक्ता का कथन है की विवादित आराजीयात ख0न0 1946 /0–06, 2037/1/3–05, 2292/1–02 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम में स्थित है जो वादीगण की हिन्दु मुश्तर्का खांनदान की दादालाई आराजीयात है। प्रतिवादी संख्या 1 मिनवादीगणों का सगा दादाजी है व प्रतिवादी सं03 मिन वादीगणो का सगा पिताजी है। प्रतिवादी सं0 1 को विवादित आराजीयात अपने पिताजी श्री सुरता की विरासत से प्राप्त हुई है। परिवार का कर्ता–धर्ता व मुख्या होने के कारण विवादित आराजीयात प्रतिवादी सं0 1 के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व दीगर लोगो के बहकावे में आया हुआ है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने खिलाफ मौका व खिलाफ कानुन बेचान जरिये बैयनामा कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 3771 प्रतिवादी सं0 4 के नाम दर्ज व मंजूर होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया । उस बैयनामा को वादीगणों के हक हिस्से तक बातिल व बेअसर नल एण्ड वाईड शून्य है। रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अलवलोकन करने से जाहिर है कि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम जो बैयनामा किया है वह वाद पत्र से पूर्व का है एवं सबकी सहमति से बैयनामा कराया गया है। इसलिए विवादित आराजी से ख0न0 2292 /1–02 बीघा हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 1946/0–06, 2037/1/3–05, वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम के 1/3 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 कर्ण सिंह , प्रतिवादी संख्या 2 गजे सिंह 1/3 हिस्सा एवं शेष 1/3 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 3 व वादीगण संख्या 1 लगायत 4 संभाग रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराम हो । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/06/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 292/16
दायर दिनांक 04.10.2016

निर्णय दिनांक 05/06/18

उनवान

1. आशीष
2. आदित्य
3. बादशाह पुत्रांन अमरजीत
4. भूमिका पुत्री अमरजीत नाबालिग जाति जाटान निवासीयान ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर जरिये सरपरस्त माता श्रीमति पूनम पत्नि अमरजीत जाति जाट निवासी कोटकासिम जिला–अलवर (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

1. कर्णसिंह पुत्र सुरता जाति जाट निवासी कोटकासिम (अलवर)
2. गजे सिंह
3. अमरजीत पुत्रांन कर्णसिंह जाति जाट निवासी कोटकासिम
4. मुथरी देवी पत्नि जगराम जाति जाट निवासी कोटकासिम
5. श्रीमान उप पंजियक महोदय, कोटकासिम जिला–अलवर
6. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बमय हुक्मईम्तनाईदवामी

धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भगवान यादव अभिभाषक वादीगण
2. श्री भगत सिंह चौधरी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1

अतः वादीगण का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर [illegible] 2037/1/3–05, वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम के 1/3 हिस्से मे प्रतिवादी संख्या 1 कर्ण सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 गजे सिंह 1/3 हिस्सा एवं शेष 1/3 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 3 व वादीगण संख्या 1 लगायत 4 संभाग रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दराम हो । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/06/18 को टंकित किया जाकर खुले इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner